न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–04/2003
05/2003

मो0 सुलतान
बनाम
जय कुमार मंडल वगैरह।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21.03.2013	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के बन्दोवस्ती वाद सं0–57/2012–13 में बन्दोवस्ती के विरूद्ध दायर किया गया है। इस बन्दोवस्ती के विरूद्ध एक ओर अपीलकर्त्ता दयानन्द अग्रवाल के द्वारा अपील वाद सं0–05/2008 दयानन्द अग्रवाल बनाम भजन मंडल दायर किया गया है। जो सुनवाई हेतु दोनों अपील वाद को एक साथ सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में मामला यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–पियादापुर नं0–121 के जमाबन्दी नं0–05 के दाग नं0–152 के रकवा 0–15–15 धूर एवं दाग नं0–162 का रकवा 0–16–19 धूर जमीन की बन्दोवस्ती से संबंधित है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि वर्णित दोनों दाग की जमीन उनके पूर्वजों को बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन अपीलकर्त्ता को बिना सूचना दिये अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी को बन्दोवस्ती कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि मौजा–पियादापुर नं0–121 के दाग नं0–152 रकवा 0–15–15 धूर एवं दाग नं0–162 रकवा 0–16–19 धूर कुल रकवा 1–12–14 धूर जमीन जो सरकारी अनाबादी गड़िया (Pond) जमीन है। उक्त दोनों दाग की जमीन अब्दुल मजीद, पिता–रसूल बक्स, हरिणडांगा बाजार, पाकुड़ को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है एवं नामान्तरण वाद सं0–241/1956–57 एवं 93/1957–58 के द्वारा नामान्तरण भी हुआ है एवं राजस्व लगान भी दे रहे है। वर्णित जमीन अपीलकर्त्ता को उनके हिस्से में प्राप्त हुआ है। दाग नं0–162 बन्दोवस्ती जमीन स्वरूप का परिवर्त्तन नहीं हुआ है। इस दाग की गड़िया (Pond) की पानी से अपीलकर्त्ता अपनी जमीन दाग नं0–171, 173 एवं 174 का सिंचाई में उपयोग करते है। लेकिन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बिना सूचना के तथा पूर्व बन्दोवस्ती का रद्द किये बिना अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर बन्दोवस्त कर दिया गया जो नियमतः गलत है। इनके द्वारा बन्दोवस्ती को खारिज करने का अनुरोध किया गया। इस अपील वाद के साथ सम्मिलित आर0एम0ए0 वाद सं0–	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1		

05/2003 के अपीलकर्त्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मौजा–पियादापुर के दाग नं0–152 एवं अन्य दागों की जमीन बन्दोवस्ती के लिए दिनांक 25.07.2002 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दिया गया था तथा उत्तरकारी के द्वारा भी दाग नं0–152 की जमीन बन्दोवस्ती हेतु आवेदन दिया गया था। जिसका बन्दोवस्ती वाद सं0–27/2002–03 संस्थित करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन मांगा गया है जो अभी तक जांच प्रतिवेदन के लिए लंबित है। इनका कहना है कि जब अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी दोनों के द्वारा एक ही जमीन को बन्दोवस्ती के लिए आवेदन दिया गया तो वाद को एक साथ सम्मिलित कर सुनवाई किया जाना चाहिए। इनका दावा है कि दाग नं0–152 की जमीन के बगल में उनका जमीन है, इसलिए इनका अग्राधिकार है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना गया। उनका कहना है कि पाकुड़ बाईपास रोड केलिए उत्तरवादी का अपना 1–6–0 धूर (एक बीधा छः कट्ठा) जमीन अधिग्रहण कर रोड निर्माण किया गया है। इसके लिए इन्हें कोई क्षतिपूति राशि प्राप्त नहीं हुई है। तत्कालीन उपायुक्त के मौखिक अश्वासन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी से प्रश्नगत जमीन बन्दोवस्ती द्वारा प्राप्त हुई।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना कि उनके पूर्वजों के नाम से वर्णित जमीन वर्ष 1956 में बन्दोवस्ती दी गई है एवं नामान्तरण भी हुआ है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के संबंधित बन्दोवस्ती अभिलेख नष्ट हो जाने की बात कही गई।

अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में की गई बन्दोवस्ती तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के जांच प्रतिवेदन में पूर्व में की गई बन्दोवस्ती का कोई जिक्र नहीं है।

अतः विचारोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को पूर्ण जांच कर नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु वाद को रिमाण्ड किया जाता है।

Seen
8-4-23

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.16 16:36:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:284b:7855:3557:abe1

Scanned with CamScanner